तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/5355/2006/चुरू मु0 मानकौरी बनाम इन्द्रसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.8.19	**खण्डपीठ** **श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट श्री दुनीचंद डिडारियां, अधिवक्ता रेस्पो. **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-05-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादी संख्या 1 ने एक राजस्व वाद विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ग्राम दुमकी की कुल आराजी रकबा 262 बीघा 11 बिस्वा बाबत सहायक कलेक्टर, राजगढ के समक्ष बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि के 2/3 हिस्से के खातेदार कालू व हरचंद थे एंव 1/3 हिस्से का खातेदार चुन्नी था जिसका देहांत हो गया तथा अब खातेदार उसके वारिसान है। चुन्नी मृतक के दो पत्नियां थी जिसमें वर्तमान अपीलांट मानकौरी है एवं दूसरी पत्नि लिछमा थी, जिसका देहांत हो गया, जिसकी पुत्री सोनादेवी हुयी जिसका भी देहांत हो गया एवं सोना देवी के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 है। वाद का मुख्य कथन था कि प्रश्नगत भूमि में मृतक का 1/3 हिस्सा था जिसके मरने पर दोनों पत्नियों लिछमा व मानकौरी के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज हो गयी। बेवा लिछमा के मरने पर उसका हिस्सा बेवा मानकौरी के नाम दर्ज हो गया। जबकि बेवा लिछमा के सोना नाम की पुत्री थी जिसके वादी/रेस्पो0 इन्द्रसिंह व सावित्री जायज वारिसान है। विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/5355/2006/चुरू मु0 मानकौरी बनाम इन्द्रसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट ने जबाव दावा प्रस्तुत कर बताया कि लिछमा के सोना नाम की कोई पुत्री नहीं थी और वादी का विवादित भूमि पर कोई हिस्सा व हक नहीं बनता है। उसके पश्चात उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय ने उक्त आधार पर ही अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2005 से वादी का वाद खारिज कर दिया। रेस्पो0/वादी ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2005 के विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील अधिकारी ने अपने निर्णय 17.05.2006 द्वारा रेस्पो0/वादी की अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2005 को अपास्त कर दिया। अपील अधिकारी के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी में तीनों भाईयो का 1/3-1/3 हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज था । चुन्नी का 1/3 हिस्सा उसके देहांत के बाद अपीलांट के हिस्से में आया तथा राजस्व रिकार्ड में उसी अनुसार दर्ज है एवं संबधित भूमि का नामांतरकरण भी अपीलांट के नाम स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0/वादी ने अपीलांट व अन्य सहकृषकों के बीच हुये विभाजन को कभी चुनौती नहीं थी। रेस्पो0/वादी लिछमा के वारिस होते तो संयुक्त खातेदारों के मध्य हुये विभाजन को उनके द्वारा चुनौती दी जाती लेकिन चैनौती नहीं दिये जाने के अभाव में रेस्पो0/वादी का दावा संधारण योग्य माना गया था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/5355/2006/चुरू मु0 मानकौरी बनाम इन्द्रसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि लिछमा प्रतिवादी/अपीलांट की छोटी बहिन थी जो शारीरिक रूप से विकलांग थी। जिसका देहांत करीब 37-38 साल पहले हो चुका था। वादी/रेस्पो0 ने लिछमा के एक पुत्री सोना का होना बताया यदि सोना लिछमा की पुत्री होती तो सोना अपने जीवनकाल में ही लिछमा की पुत्री होने के नाते विवादित भूमि में अपना हिस्सा लेने का क्लेम करती। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि वर्ष 1978 में लिछमा के मरने के बाद 1990 तक रेस्पो0/वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की। बेवा लिछमा मृतक चुन्नी की विवाहिता नहीं थी वह विकलांग थी । इसलिए भरण पोषण के लिए अपीलांट/प्रतिवादी मानकोरी ने उसे अपने साथ रखा था। उसके सोना नाम की कोई पुत्री नहीं है इसलिए लिछमा के मरने पर उसका हिस्सा अपीलांट मामकोरी के नाम दर्ज होगा जो सही है। विचारण न्यायालय में भी वादी अपना वाद साबित नहीं कर पाया। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पो0/वादी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर दी। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2017 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 3591, 2006 ए0आई0आर0 एस0सी0 पेज 645, 2001 आर0आर0बी0जे0 पेज 603, 1999 आर0आर0डी0 143, 2012 आर0एल0डब्ल्यू0(1) पेज 234, 1989 आर0आर0डी0 पेज 527 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। उनका यह भी तर्क था कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकीवार निर्णय प्रदान नहीं किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि में मृतक चुन्नी का 1/3 हिस्सा बतौर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/5355/2006/चुरू मु0 मानकौरी बनाम इन्द्रसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार दर्ज था। चुन्नी के दो पत्नियां लिछमा व मानकौरी जो दोनो सगी बहने थी। चुन्नी की मृत्यु के पश्चात इंतकाल दोनों पत्नियों के नाम दर्ज हो गया। सवंत 2005 में बेवा लिछमा का देहांत हो गया उसका हिस्सा बेवा मानकोरी के नाम दर्ज हो गया जबकि बेवा लिछमा के सोना नाम की एक पुत्री थी वह भी फौत हो गयी। किन्तु रेस्पो0 इन्द्रसिंह व सावित्री उसके जाजय वारिसान है जिन्होने जरिये वाद अपने हक हिस्से की मांग की थी। प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पत्ति है और रेस्पो0 उसके उत्तराधिकारी है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि सवंत 2012 से संवत 2026 तक मानकोरी ने लिछमाराम के नाम दर्ज भूमि को कभी चुनौती भी नहीं दी। पंच कुर्सीनामा के अनुसार सोना को लिछमा की पुत्री बताया है जिसका भी उनके द्वारा खण्डन नहीं किया गया। मानकोरी का यह कथन कि लिछमा विकलांग थी इसलिए उसे भरणपोषण के लिए जमीन दी गयी थी वह विवाहित पत्नि नही थी। परन्तु भरणपोषण के लिए प्राप्त सम्पत्ति पर भी उसके मरने के पश्चात वह सम्पत्ति उसके वारिसान के हक में ही अंतिरित हाने योग्य होती है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया । हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 9 तनकियात कायम की तथा प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य के आधार पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी के वाद को खारिज किया है। किन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने किसी भी तनकी पर अपना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/5355/2006/चुरू मु0 मानकौरी बनाम इन्द्रसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निष्कर्ष अंकित नहीं किया है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया है जबकि विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की पालना करते हुये प्रत्येक तनकी पर विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये निर्णय प्रदान किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दूषित हो जाता है। क्योंकि हमारे द्वारा यह प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जा रहा है ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते है क्योंकि हमारी टिप्पणी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं पक्षकारों के हितों को प्रभावित कर सकती है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन अपील अधिकारी, बीकानेर को पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	